21.12.18	पत्रावली पेश। वकील वादी उप० है। प्रतिवादी नम्बर 2 द्वारा मौका रिपोर्ट अपने पत्रांक क्र० आ/18/5440 दिनांक 21.12.18 द्वारा पेश की गई, शामिल मिसल हो। विद्वान अधिवक्ता वादी को सुना गया। दौरान बहस विद्वान अधिवक्ता वादी का कथन है, कि वादग्रस्त भूमि के

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	साबिक खसरा नम्बर 40 रकबा 2)5 एव 136 रकबा 71)5 को वादी द्वारा जरिये रजिस्टर्ड सेल डीड क्रय की थी। उक्त भूमि को वादी समय पर अपने नाम राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद नहीं करवा पाया। उक्त भूमि के बाद बन्दोबस्त हाल खसरा नम्बर 65 रकबा 0.86 हे0 225 रकबा 0.01 हे., व 226 रकबा 1.17 हेक्टेयर - पैमूद किये गये है। क्रेता द्वारा भूमि क्रय करने के उपरान्त से ही उक्त भूमि पर क्रेता अर्थात वादी का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादी द्वारा उक्त भूमि पर सुधार के अन्तर्गत से एक कुआ खुदवाया है, जिसकी तार्दीद पैरोकार सरकार सरकार द्वारा पेश की गई मौका रिपोर्ट से होती है। उक्त भूमि सहवन से बेचानकर्ता के नाम पर दर्ज गई। बेचान कर्ता की मृत्यु हो चुकी है। तथा उसके कोई कुलमी वारिस मौजूद नहीं है। क्रेता और कब्जेदार की तरह बहैसियत खातेदार वादी काबिज चला आ रहा थी उक्त भूमि को अधिग्रहीत किया जाकर मुआवजा तय कर दिया गया है। परन्तु सहवन से उक्त भूमि पूर्व खातेदार बेचानकर्ता के ही नाम पर दर्ज चली आने से वादी के नाम पर मुआवजे का निर्धारण नहीं किया गया। वादी द्वारा अपने समस्त जीवन की कमाई का पैसा लगा कर बारानी भूमि क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था। यदि उक्त भूमि का मुआवजा वादी को अदा नहीं किया	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	गया तो वादी के जीविका के समस्त स्रोत समाप्त हो जावेंगे। जीविका जीवन का आधार होता है, और यदि वादी की जीविका ही समाप्त हो जाती है, तो वादी के समक्ष अपने और अपने परिवार के भरण-पोषण का गंभीर संकट उत्पन्न हो सकता है। अतः वादग्रस्त भूमि का वादी को खातेदार अधिकारी घोषित करमा कर रिकार्ड में वादी का नाम दर्ज करवाया जावे तथा अधिगृहीत भूमि का मुआवजा वादी के नाम पर अदा करने का आदेश फरमाया जावे। बाद बहस हमने पत्रावली का आद्योपान्त मनन अवलोकन किया। वादी द्वारा वादपत्र में वर्णित तथ्य, वांछित अनुतोषादि, प्रतिवादी एक व दो के जवाब, रिपोर्ट तहसीलदार रामगंजमण्डी एवं वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात पर सम्यक विधिसंगत विचार किया गया। बहस विद्वान अधिवक्ता वादी पर मनन किया। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादी द्वारा इस न्यायालय के पूर्व प्रकरण मि० नं० 88/08 वाद U/S 88.89.188 R.T.Act दुर्गालाल बनाम राजस्थान सरकार की प्रति प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पूर्व में ताकली बांध परियोजना में अवाप्त भूमि में इस प्रकार के निर्णय पारित किये जा चुके हैं। प्रकरण की समानता को देखते हुये वादी को राहत प्रदान	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	की जाने का निवेदन किया गया। हस्ब रजिस्टर्ड बयनामा वादी द्वारा ग्राम गुरदी की भूमि साबिक खसरा नम्बर ४० रकबा ४।)९ व ९३ज रकबा ७।)९ किता २ रकबा १२।।)२ क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है। हस्ब फर्द मिलान उक्त भूमि के हाल खसरा नम्बर ६२ रकबा ०.२८६ हे०, २२५ रकबा ०.०१ हे० व २२६ रकबा १.१७ हेक्टर पैमूद किये गये है। प्रकरण वर्णित उक्त साबिक नम्बरान के हाल नम्बर पूर्ववत विक्रेता के नाम पर ही दर्ज है। प्रकरण में वादी द्वारा खातेदारी की घोषणा चाही है, जो निम्न कारणों से दिया जाना उचित नहीं पाया जाता है। क्योंकि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के अवलोकन से वादी का खातेदारी घोषणा हेतु पक्ष मजबूत है, क्योंकि विक्रेता द्वारा रजि० सेल डीड के उपरान्त विक्रेता के खातेदारी अधिकारों का अवसान होकर क्रेता को खातेदारी स्वत्व धारा 63 के अनुसार प्राप्त हो जाना चाहिये किन्तु उक्त भूमि को भूमि अर्जन अधिनियम के प्रावधानों के तहत अधिग्रहीत किया जा चुका है, ऐसी सूरत में भूमि से संबंधित राजस्व रिकार्ड के खाते के कॉलम ५ में किसी	

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

भी आसामी (जो धारा 5(43) में वर्णित है) के स्वत्व अवशेष नहीं रह जाते हैं। अतः खातेदारी घोषणा का अनुतोष दिया जाना उचित नहीं पाया जाता।

हम इस न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित निर्णय मि० नं० 88/08 वाद अन्तर्गत 88-89-188 निर्णय दिनांक 25.11.10 से सहमति व्यक्त किया जाना उचित पाते हैं, कि इस प्रकार अधिग्रहण होने के उपरान्त जब भूमि पर खातेदारों के खातेदारी स्वत्व समाप्त ही हो जाते हैं तो स्वत्व की घोषणा का कोई औचित्य अवशेष ही नहीं रहता। अतः प्रकरण पर खातेदारी घोषणा के संबंध में धारा 63 के प्रावधानों के तहत अन्य विवेचना अपेक्षित नहीं है।

प्रकरण में यह तथ्य है, कि विवादित भूमि पर विगत 30-35 वर्षों से वादी का अनवरत कब्जा रहा है। कुआ भी वादी द्वारा खुदवाया गया है। जैसा कि तहसीलदार की रिपोर्ट से प्रमाणित है। कुल मिला कर वादग्रस्त भूमि पर जिस खातेदार का नाम अंकित है, वह वर्तमान परिदृश्य में दिखावटी रह जाता है।

प्रकरण में यह भी तथ्य है, कि वादग्रस्त भूमि को वादी द्वारा सन् १९८१

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	में क्रय किया है, और खरीददार और रजि० सेलडीड के उपरान्त वादी का रिकार्ड में भले ही अंकित नहीं किया गया हो परन्तु विक्रेता के स्वत्व समाप्त होकर क्रेता को स्वत्व प्राप्त हो जाते थे। यदि भूमि को अधिगृहीत कर लिया जाता है, तो क्रेता ही मुआवजे का पात्र रहता है। हमने प्रकरण के गुणावगुण पर सम्यक विचार किया। वादी को वादग्रस्त भूमि पर स्वत्व की घोषणा और रिकार्ड दुरुस्ती का अधिकारी नहीं पाया जाकर न्यायहित में मुआवजे का ही अधिकारी पाया जाता है। अतः वाद वादी इसी प्रकार निर्णित कर आदेश दिये जाते हैं, कि वादी भूमि अवाप्ति अधिकारी के समक्ष प्रा० पत्र पेश कर अपनी समस्त औपचारिकता पूर्ण कर नियमानुसार मुआवजा प्राप्त करने का हकदार होगा। निर्णय की प्रति भूमि एवं मुआवजा से संबंधित सभी पक्षों को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दा०द० हो। निर्णय आज दि. 21.12.18 को खुले इजलास सुनाया। 21.12.18 (के. आर. जाखड़) उपखण्ड मजिस्ट्रेट रामगंजमण्डी उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी	

Scanned by CamScanner